न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 38/2018

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. राजू पुत्र पारसमल जाति गोलेच्छा निवासी 284 सूनार बायतु भोपजी बायतु जिला बाड़मेर (मैसर्स तरूण किराणा स्टोर बायतु जिला बाड़मेर का मालिक)
2. बंशीधर पुत्र रिखबदास जाति जैन निवासी कल्याणपुरा बाड़मेर (मैसर्स पवन घी भण्डार, कृषि उपज मण्डी, बाड़मेर का मालिक)
3. सलोचना देवी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद निवासी प्लॉट नं. 10 आदर्श नगर, लाल सागर, पोस्ट बीएसएफ जोधपुर (मैसर्स किशन लाल राजेन्द्र प्रसाद वि–19 वीर सावरकर ब्लॉक, मुख्य कृषि मण्डी, मण्डोर रोड जोधपुर की सोल प्रोप्राईटर)
4. राजेन्द्र प्रसाद कलवानिया पुत्र कृष्ण लाल कलवानिया निवासी प्लॉट नं. 10 आदर्श नगर, लाल सागर, पोस्ट बीएसएफ जोधपुर (मैसर्स सुशील ट्रेडिंग कम्पनी, पुरानी धान मण्डी, श्रीगंगानगर का सोल प्रोप्राईटर)
5. सुबास गोयल पुत्र हरी चन्द्र गोयल, साउथ सिटी, लुधियाना, पंजाब (मैसर्स नारायण एग्रो फूड लि. फरीदकोट रोड, कोटकपुरा का डारेक्टर)
6. विशाल गोयल साउथ सिटी, लुधियाना, पंजाब (मैसर्स नारायण एग्रो फूड लि. फरीदकोट रोड, कोटकपुरा का डारेक्टर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:29:18 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री विष्णु चौधरी, अप्रार्थी सं. 03 व 04 की ओर से उपस्थित।
3. शेष अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 02.11.2021

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म **मैसर्स तरूण किराणा स्टोर बायतु जिला बाड़मेर** का मालिक पर निरीक्षण दिनांक **30.08.2016** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड शक्ति (500 एमएल)**, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार 500–500 एमएल **घी ब्राण्ड शक्ति (500 एमएल)** के कुल 4 पैकेट वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–686** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड शक्ति (500 एमएल)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड शक्ति (500 एमएल)** का नमूना **अवमानक (Substandard)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद प्रतिरक्षण में कोई जवाब पेश नहीं किया है।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा [illegible] पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट दिनांक **07.09.2016** में उक्त खाद्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:29:18 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पदार्थ का नमूना अवमानक पाया गया। अप्रार्थीगण की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद प्रतिरक्षण में कोई ठोस एवं तथ्यात्मक जवाब पेश नहीं किया है। अप्रार्थीगण की ओर से अपने व्यवसाय में जिस खाद्य पदार्थ का विक्रय किया जा रहा था, की गुणवता व मानकता के प्रति अपने दायित्व से विमुक्ति का प्रयास किया गया है। अप्रार्थी संख्य 1 की फर्म से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना अवमानक पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एव उसके अधीन बनाये गये विनियमो की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। प्रस्तुत वाद **घी ब्राण्ड शक्ति (500 एमएल)** से संबंधित है, जिसमें Butyro-refractometer reading at 40° C 40.00 to 43.00 के मुकाबले 40.30 पाया गया है जो कि अवमानक स्तर का है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से रूपये 2,50,000/— का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 02.11.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर ... बाड़मेर (राज.) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:29:18 IST
Reason: SelfAttested